न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 09/2021

श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

वनाम

1. सीताराम गोपाल चौधरी पुत्र श्री गोपाल चौधरी (विक्रेता एवं पार्टनर) मैसर्स :– के.के. एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं0 151, बाके विहारी, गांव–ढेहरा तहसील–चौमू, जिला–जयपुर। निवासी–1489, Near Cheranton School Dunetha, Nani Daman, Daman & Diu 396210
2. मुकेश कुमार (पार्टनर) मैसर्स :– के.के.एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं0 151, बाके विहारी, गांव ढेहरा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्तगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii)/52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011)

उपस्थितिः–
1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. अभियुक्त की ओर से मयंक गुप्ता अभिभाषक उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 28.03.2022

यह परिवाद श्याम सुन्दर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 01.07.2021 को मैसर्स के.के. एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं0 151, बांके बिहारी, गांव–ढेहरा, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के विक्रेता एवं पार्टनर अभियुक्त सीताराम गोपाल चौधरी की उपस्थिति में दुकान में निरीक्षण करने पर 250–250 एमएल की कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) 24–24 बोतल के 20 केस आम जनता को विक्रय किये जाने हेतु रखे हुए थे। इनमें गुणवत्ता/मिसब्राण्ड में कमी होने का अंदेशा होने पर इसमें से 12 लीटर कुल (48 नग X 250 ml) कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर जोन, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई–5050 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 12 लीटर कुल (48 नग X 250 ml) कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) की कीमत अंके रूपये 200/– (अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) मौके पर उपस्थित विक्रेता/मालिक श्री सीताराम गोपाल चौधरी से केश मीमो/रसीद प्राप्त की जिस पर वतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 12 लीटर कुल (48 नग X 250 ml) कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) की खाद्य विश्लेषक से जांच कराये जाने पर मिसब्राण्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा अमानक कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल मिसल कराया गया।

उभयपक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक,(जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्षेत्र अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 के अनुसार उन्हे कार्यक्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम क्षेत्र आवंटित किया गया है। जिसके अन्तर्गत आने वाला समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में आता है। तहसील चौमू भी उनके कार्यक्षेत्र में होने के कारण उनके द्वारा उक्त फर्म के यहां नमूना लिया गया है। आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रदत्त शक्तियों एवं आवंटित क्षेत्र के तहत खाद्य पदार्थ विक्रय स्थल का निरीक्षण किये जाने की शक्तियां निहित होने के फलस्वरूप कर्तव्यों का निर्वहन किये जाने के अनुसरण में दिनांक 01.07.2021 को अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये 250–250 एमएल कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) की 24–24 बोतल के 20 केस रखे होना पाया गया जिनका निरीक्षण किया गया। मौके पर मिले कारोबारकर्ता सीताराम गोपाल चौधरी के पास उपलब्ध कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) का भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर इनमें गुणवत्ता/मिसब्राण्ड में कमी होने का शक होने पर नमूना जांच हेतु 12 लीटर कुल (48 नग x 250 ml) कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) की कीमत अंके रूपये 200/–(अक्षरे रूपये दो सौ मात्र) कारोबारकर्ता श्री सीताराम गोपाल चौधरी को देकर क्रय किया गया और केश मीमो–रसीद कारोबारकर्ता सीताराम गोपाल चौधरी से गवाहान के सामने प्राप्त कर मौके पर नमूना जांच नम्बर ई–5050 दर्ज किया गया और मौके पर प्ररूप 5ए तैयार कर एक प्रति अभियुक्त को दी गई जिसकी प्राप्ति के हस्ताक्षर स्वयं अभियुक्त सीताराम गोपाल चौधरी के अंकित है। इस प्राप्ति रसीद पर कारोबारकर्ता सीताराम गोपाल चौधरी के साथ ही 2 गवाहान के हस्ताक्षर है। पूरी कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट मौके पर उपस्थित गवाहान के समक्ष तैयार की गई है, जिसे मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर के लिये कहा गया है मौके पर ही अभियुक्त एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये है। आवेदक ने नियमानुसार मौके पर लिये गये नमूनों का फार्म नम्बर 6 तैयार कर संबंधितों को जमा करवाया है। खाद्य विश्लेषक, राजस्थान जयपुर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक एल.एस./747/एक्ट/2021/786 दिनांक 15.07.2021 प्ररूप बी में नमूना कोड नम्बर और सीरियल नम्बर ई–5050 को मिसब्राण्ड होना पाया है। अतः यह स्पष्ट सिद्ध है कि अभियुक्त सीताराम गोपाल चौधरी, (विक्रेता/मालिक) मैसर्स के.के. एन्टरप्राईजेज, प्लाट नं0 151, बाके बिहारी, गांव–ढेहरा तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा मिसब्राण्ड कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया है। अतः आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अभियुक्त को अधिकतम शास्ति से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान् अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए खाद्य आयुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कथन किया कि खाद्य आयुक्त नियमानुसार प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नही किये गये है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रशिक्षित तकनिकी नमूना लेने के लिए निर्धारित योग्यता एवं प्रशिक्षण धारक नही है ना ही इनके द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यता और खाद्य प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो नमूना विश्लेषण के लिए भेजा गया है वह एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नही है और अधिसूचित लैब भी नही है। राज्य केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को खाद्य प्रयोगशाला नही माना जा सकता। जिस प्रयोगशाला में नमूनें का परीक्षण किया

गया है वह मान्यता प्राप्त और अधिसूचित प्रयोगशाला नही है। जिसके कारण खाद्य विशलेषक की रिपोर्ट पर भरोसा नही किया जा सकता। इस संबंध में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मैसर्स Nastle India Limited Vs FSSAI & Ors: 2015 (2) FAC 56 का अवलोकन किया जा सकता है। खाद्य वस्तुओं की जांच के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में ही खाद्य नमूनों की जांच की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा ग्राहकों को ना तो गुमराह किया गया है ना ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इसलिए यह पूरी तरह से गलत ब्राण्डीग का मामला नही है। अभियुक्त की शिकायत इस आधार पर भी ड्रोप की जा सकती है कि अभियुक्त एक छोटा व्यवसायी है। जिसकी वार्षिक बिक्री 12 लाख प्रति वर्ष से भी कम है। इस कारण अभियुक्त धारा 31 (2) के अन्तर्गत आता है जिसमें अधिकतम 25,000/– रूपयें पेन्लटी का प्रावधान है। अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 नियम 2011 की शर्तो का उल्लघंन नही किया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण खारिज किया जावें।

खाद्य विश्लेषक द्वारा जो फार्म बी अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की गई है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) लिये गये नमूनें में Artificial Sweetener Saccharin के मानक स्टैण्ड 100ppm के स्थान पर 34.55ppm होना पाय गया, जो मामूली सा अन्तर है। विक्रेता सीताराम गोपाल चौधरी द्वारा कोई मिलावट नही की गई है ना ही उनके द्वारा विक्रय हेतु रखे गये कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) की गुणावत्ता में कोई कमी थी, मामूली सा मानक आधार में कमी रही है। अतः आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावें।

हमने उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदक द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)/52 एफएसएस एवं नियम 2011 का उल्लंघन पाये जाने पर धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई है:–

1. आवेदक स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/एफएएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 की प्रति ।
2. चौमू क्षेत्र आवेदक को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एफएसएसए/2019/832 दिनांक 29.09.2019 तथा राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कार्यक्षेत्र अधिसूचना दिनांक 10.02.2012 की प्रति।
3. आवेदक द्वारा दिनांक 01.07.2021 को नमूने के लिऐ क्रय किये 12 लीटर कुल (48 नग X 250 ml) कार्बोनेट बेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) के समर्थन में कारोबारकर्ता द्वारा दिनांक 01.07.2021 को दिये गऐ केश–मीमो की प्रति जिस पर स्वयं कारोबारकर्ता सीताराम गोपाल चौधरी के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना कारोबारकर्ता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति हस्ताक्षर कारोवारकर्ता सीताराम गोपाल चौधरी के है ।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर खाद्य कारोबारकर्ता सीताराम गोपाल चौधरी के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट की प्रति जो निर्धारित प्ररूप बी में जारी की गई है और नमूना मिसब्राण्ड होना अंकित है।

अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि नमूना लिये गये व्यक्ति द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निर्धारित योग्यता एवं प्ररिक्षिण प्राप्त व्यक्ति नही था। हमारे विचार से नमूना लेने के पश्चात् नमूना जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला में नमूने की जांच हेतु भिजवाया जाता है। प्रयोगशाला में तकनिकी रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा नमूनों की जांच की जाती है। जिसके आधार पर खाद्य

विश्लेषक की रिपोर्ट की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट प्रारूप वी अभियुक्त को अभिहित अधिकारी द्वारा भेजी गई है। अभियुक्त ने नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार इस खाद्य विश्लेषक रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि में चुनौती भी नही दी गई है। ऐसी स्थिति में विलम्ब के संबंध में इस स्तर पर विचार किये जाने का कोई औचित्य नही है। खाद्य विश्लेषक की रिर्पोट प्ररूप–वी दिनांक 15.07.2021 पर संदेह किये जाने का कोई आधार नही है। अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का यह कथन भी उचित नही है कि जिस प्रयोगशाला में नमूना जांच का विशलेषण किया गया है वह एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त नही है। राज्य सरकार द्वारा जिस लैब को नमूना जांच हेतु प्राधिकृत किया गया है उसमें नियमानुसार जांच कराये जाने पर ही नमूना जांच को मिसब्राण्ड फूड होना पाया गया है।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त द्वारा मिसब्राण्ड कार्बोनेट वेवरेज (पेपको ऑरेन्ज) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अभियुक्त द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुये हम अभियुक्त के कृत्य के लिये राशि रूपये 20,000 (अक्षरे रूपये वीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करावें।

निर्णय मेरे इजलास आज दिनांक 28.03.2022 को सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर